न्यायालय उप जिला कलक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट, धोद, मु. सीकर

एकता देवी बनाम हनमानदत्त आदि

दावा मु. नं. 521 वर्ष 2014

किस्म मुकदमा

आज्ञा-पत्र

दिनांक	
11/5/2018	फरावली राजस्व लोक अदालत केन्द्र बोहाना में पेश हुई। तहसीलदार, धोद के विभाजन प्रस्ताव दिनांकित 11/5/2018 प्राप्त हुआ, जो शामिल फरावली किया गया। वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11/5/2018 अदालत दावा डिक्री करवाने हेतु सहमत है। फरावली का रेकॉर्ड अंकित गया। प्राप्त विभाजन प्रस्ताव के पक्ष न्यायालय संतुष्ट है। अतः वाद वादिगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव तहसीलदार, धोद दिनांक 11/5/2018 डिक्री किया जाता। तहसीलदार, धोद की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11/5/2018 राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है। तहसीलदार, धोद के प्राप्त विभाजन प्रस्ताव दिनांक 11/5/2018 एवं संलग्न फरावली आदेश का पालन रहेगा। पर्चा डिक्री एवं पालन हेतु तहरीर जारी होवे। फरावली फैसल शुमार होवे। नकल से कम हो। वाद तमसील तरफ बीच शामिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
धोद मु. सीकर

निर्णय आज दिनांक 11/5/2018 को लोक अदालत केन्द्र बोहाना में लेकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी

P.D. जारी 11-8-2018 के आदेश डाडाडिक्री कलक्टर, धोद है सहमत है।

प्रतिवादीगण 5, 6 एवं 8.